



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 20.05.2026

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान थाने के मु०अ०सं० 09/26 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस-2023 व मु०अ०सं० 19/26 धारा 303(2) बीएनएस-2023 व मु०अ०सं० 103/26 धारा 305/331(4)/3(5) बीएनएस-2023 में वाछित 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड घायलावस्था में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मो०सा० सप्लेण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट व 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1- दिनांक 08.01.26 को थाना खेकडा पर वादी भीष्म नैन पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट बसी थाना खेकडा जिला बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त गणों द्वारा वादी व अन्य योगेन्द्र पुत्र ओमकार निवासी ग्राम बसी, उदयबीर पुत्र सूरजमल निवासी खेकडा, सिद्धान्त सिंह पुत्र बीरबल निवासी पट्टी रामपुर खेकडा, राजवीर पुत्र अमन सिंह निवासी पट्टी मुण्डाला खेकडा, कालू पुत्र फेरू निवासी पट्टी गिरधरपुर खेकडा के खेतों पर लगी



ट्यूबवैलो से स्टार्टर व कटआउट चोरी कर लिये है। व अन्य सामान तोड़ - फोड़ दिया है।

सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 09/26 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस-2023 पंजीकृत किया गया ।

2-दिनांक 24.01.26 को थाना खेकडा पर वादी सुधीर धामा पुत्र रामकुमार धामा निवासी पट्टी रामपुर कस्बा व थाना खेकडा जिला बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरो द्वारा वादी की ट्यूबवैल से बिजली का केवल , स्टार्टर , झटका मशीन, दो लोहे के गाटर, फावड़े, प्लास, ऑपरेटर, पांच किलो तार का बंडल, दो चार्जर व राहुल धामा पुत्र नेपाल सिंह, सुखवीर पुत्र हरिया व सुरेन्द्र पुत्र विक्रम निवासी कस्बा व थाना खेकडा जिला बागपत की ट्यूबवैलो से स्टार्टर केबिल व कट-आउट व अन्य सामान चोरी कर लिये है । इस सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 019/26 धारा 303(2) बीएनएस-2023 पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा दिनांक 20.05.26 की रात्रि में बड़ागांव से मुबारिकपुर लिंक रोड पर चैकिंग के दौरान एक संदिग्ध मो0सा0 को रोकने का प्रयास किया गया, मो0सा0 पर सवार अभियुक्त द्वारा चकरोड़ से खेतों की तरफ मुड़कर भागने का प्रयास किया गया, किन्तु मो0सा0 गिर जाने पर अभियुक्त मो0सा0 से उतरकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने लगा । पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में 01 अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से बिना नम्बर प्लेट की मो0सा0 सप्लेण्डर प्लस, 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बंध में थाना खेकडा पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट:-1- उपरोक्त कार्यवाही के क्रम में थाना खेकडा के मु0अ0सं0 09/26 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस-2023 व मु0अ0सं0 019/26 धारा 303(2) बीएनएस-2023 व मु0अ0सं0 103/26 धारा 305/331(4)/3(5) बीएनएस-2023 में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का ट्यूबवैल चोर है ।

नोट:-2- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में यह भी स्वीकार किया गया कि उक्त मो0सा0 को भजनपुरा दिल्ली से चोरी किया गया था तथा उसी वाहन का प्रयोग चोरी करने में करता था ।

नोट:-3- 1.मु0अ0सं0 103/26 धारा 305/331(4)/3(5) बीएनएस-2023 थाना खेकडा बागपत 2.मु0अ0सं0 019/26 धारा 303(2) बीएनएस-2023 थाना खेकडा जिला बागपत 3. मु0अ0सं0 09/26 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस-2023 थाना खेकडा बागपत में पूर्व में तीन अभियुक्तगण 1. सोनू कश्यप पुत्र चमन सिंह निवासी ईदगाह बस्ती चामुण्डा चौकी, मुरादनगर, गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष 2.अलाउद्दीन पुत्र अब्दुल हमीद निवासी बाफर, थाना जानी, मेरठ, उम्र 25 वर्ष 3. मोनू कश्यप पुत्र राकेश निवासी ईदगाह बस्ती चामुण्डा चौकी, मुरादनगर, गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. घायल - नईम पुत्र अख्तर निवासी फरूखनगर थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद हाल पता छितरा बस्ती कस्बा व थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण—

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर
- एक बिना नम्बर प्लेट की सप्लेण्डर प्लस मो0सा0 भजनपुरा दिल्ली से चोरी की हुई ।

गिरफ्तार अभियुक्त नईम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 7573/23धारा 136 भारतीय विद्युत अधि0 थाना एंटी पावर थेफ्ट बुलन्दशहर
2. मु0अ0सं0 8052/23धारा 136 भारतीय विद्युत अधि0 थाना एंटी पावर थेफ्ट बुलन्दशहर
3. मु0अ0सं0 1086/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मोदीनगर गाजियाबाद ।
4. मु0अ0सं0 1012/16 धारा 411/414/420/467/468/471 भादवि थाना मुरादनगर गाजियाबाद ।
5. मु0अ0सं0 1323/18 धारा 135 विद्युत अधि0 थाना मुरादनगर गाजियाबाद
- 6.मु0अ0सं0 0885/23 धारा 307/34/411/414 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर ।
- 7.मु0अ0सं0 103/26 धारा 305/331(4)/3(5) बीएनएस-2023 थाना खेकडा बागपत ।
8. म0अ0सं0 019/26 धारा 303(2) बीएनएस-2023 थाना खेकडा जिला बागपत

9. मु0अ0सं0 09/26 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस-2023 थाना खेकडा बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1--प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभाकर कैन्तुरा थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2- व0उ0नि0 श्री सागर सिंह थाना खेकडा जिला बागपत ।
- 3- उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4- है0का0 440 राशिद खाँन थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 5- है0का0 489 सुनील कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 20.05.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 गाड़ी टाटा कैंटर में क्रूरतापूर्वक भरे हुए 15 पशु बरामद ।

कार्यवाही-

जनपद बागपत में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से 01 गाडी टाटा कैंटर न0 UP14KT3450 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 15 पशु बरामद हुए है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 319/26 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1- शराफत पुत्र यामीन निवासी आर्य

नगर 100 फुटा रोड लोनी थाना लोनी बाँडर गाजिबाद उम्र करीब 47 वर्ष

2- इमरान पुत्र नसीम निवासी बुद्धनगर थाना सदुल्लाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष ।



बरामदगी का विवरण-

- क्रूरतापूर्वक भरे हुए 15 पशु।
- 01 गाडी टाटा कैंटर न0 UP14KT3450

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 2-का0 1130 सोनू तेवतिया थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 3-रि0का0 587 मनमोहन थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 21.5.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने एक हिस्ट्रीशीटर जिला बदर अभियुक्त को
किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर 01 जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अमित पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
(एचएस नं0 1399 बी)

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं097/24 धारा 379/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0117/24 धारा 379/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 85/24 धारा 380/411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 4-मु0अ0सं0 109/24 धारा 380/411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 5-मु0अ0सं0 81/24 धारा 379/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0 313/24 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 7-मु0अ0सं0443/24 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 8-मु0अ0सं0 445/24 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 9-मु0अ0सं0 30/24 धारा 379 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 10-मु0अ0सं0 82/24 धारा 379 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 11-मु0अ0सं0 136/24 धारा 379 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 689 विपिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-का0 207 रिकू सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।